



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269284
CG-DL-E-12012026-269284

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2026/पौष 19, 1947

No. 15]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2026/PAUSHA 19, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 15(अ).— भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार तेलंगाना सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमन, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमन, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमन, 1955 की अनुसूची में "तेलंगाना" शीर्षक और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“तेलंगाना

तेलंगाना राज्य सरकार के तहत वरिष्ठ ज्यूटी पद	119
सरकार के मुख्य सचिव	1
सरकार के विशेष मुख्य सचिव, वित्त	1
मुख्य भूमि प्रशासन आयुक्त एवं ई.ओ. विशेष मुख्य सचिव	1
प्रधान सचिव, सरकार , एएचडीडी एवं एफ	1
प्रधान सचिव, सरकार , बी.सी. कल्याण	1
प्रधान सचिव, सरकार , शिक्षा	1
महानिदेशक, डॉ. एमसीआर एचआरडीआई एवं ई.ओ. प्रधान सचिव	1
मुख्य मंत्री के अपर और प्रधान सचिव	1
राज्यपाल के प्रधान सचिव	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी, प्रधान सचिव, सरकार, सामान्य प्रशासन (चुनाव)	1
प्रधान सचिव, सरकार (पोल.) जीएडी	1
प्रधान सचिव, सरकार, आई एवं सीएडी	1
प्रधान सचिव, सरकार , एचएम एवं एफडब्ल्यू	1
प्रधान सचिव, सरकार , एमए एवं यूडी	1
प्रधान सचिव, सरकार , योजना एवं ई.ओ. डीजी., टीएसआरएसी	1
प्रधान सचिव, सरकार , पीआर एवं आरडी, आरडब्ल्यूएस, आरएसएडी	1
प्रधान सचिव, सरकार, (राजस्व और आर एवं एस)	1
प्रधान सचिव, सरकार, आबकारी, सीटी एवं बंदोबस्ती (एंड्रॉमेंट्स)	1
प्रधान सचिव, सरकार, टीआर एवं बी	1
सचिव, सरकार, ए एवं सी तथा एपीसी	1
सचिव, सरकार, ईएफएस एवं टी	1
सचिव, सरकार, ऊर्जा	1
सचिव, सरकार, वित्त (आईएफ)	1
सचिव, सरकार, वित्त एवं ईओ, डीजी, सीजीजी	1
सचिव, सरकार, (सेवाएं एवं मानव संसाधन प्रबंधन), जीएडी	1
सचिव, सरकार, गृह	1
सचिव, सरकार, आवास	1
सचिव, सरकार, (पीई और आई एवं आई), आई एवं सी	1
सचिव, सरकार, (सूचना एवं संचार, खान, एफपी, एच एवं टी, एमएसएमई, शुगर एवं बीटी)	1
सचिव, सरकार, आईटीई एवं सी	1
सचिव, सरकार, एलईटी एवं एफ	1

सचिव, सरकार, अल्पसंख्यक कल्याण	1
सचिव, सरकार, अनुसूचित जाति विकास एवं जनजातीय कल्याण	1
सचिव, सरकार, डब्ल्यूडीसी एवं डी डब्ल्यू	1
सचिव, सरकार, वाईएटी एवं सी	1
आयुक्त, नागरिक आपूर्ति और ई.ओ., सचिव, सरकार, सीएएफ एवं सीएस	1
आयुक्त, आई एवं पीआर एवं ईओ, सचिव, जीएडी	1
आयुक्त, सहकारिता एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार	1
आयुक्त, कृषि, बागवानी एवं रेशम उत्पादन	1
आयुक्त, मत्स्य पालन	1
आयुक्त, बी.सी. कल्याण और ई. ओ. एमएस, टीएससीबीसी और एमडी, टीएसबीसीडबल्यूसी	1
आयुक्त, कोलिजेट एवं तकनीकी शिक्षा	1
आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा और सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	1
स्थानिक आयुक्त, तेलंगाना भवन, नई दिल्ली	1
आयुक्त, पीएच एवं एफडबल्यू और ई.ओ. एमडी, एनएचआरएम, पीडी, एआईडीएससीएस और सीईओ आरोग्यश्री	1
आयुक्त, उद्योग और चीनी	1
आयुक्त, श्रम	1
आयुक्त, ग्रेटर हैदराबाद निगम कार्पोरेशन	1
आयुक्त और निदेशक, एमए एवं ई.ओ. एमडी, एमईपीएमए और एमडी, टीयूएफआईसी	1
आयुक्त, निषेध और आबकारी	1
आयुक्त, वाणिज्य कर	1
आयुक्त और महानिरीक्षक, पंजीकरण और स्टांप	1
आयुक्त, परिवहन	1
आयुक्त, टीडबल्यू और ई.ओ. एमडी, टीआरआईसीओआर, एमडी जीसीसी और सचिव, टीडबल्यूआरईआई	1
कलक्टर	33
अपर कलक्टर	11
पीओ, आईटीडीए	3
निदेशक, स्कूली शिक्षा एवं ई.ओ. एसपीडी, एसएसए	1
निदेशक, प्रोटोकॉल	1
निदेशक, आवासन और ई.ओ., एमडी, डबल्यूएसएचपी, ई.ओ. सीईओ, डीआईएलएल, बीसी और एमडी, एचबी और एमडी आरएसजी	1
निदेशक, हथकरघा और वस्त्र, ई.ओ. एम.डी., टीएससीओ	1
निदेशक, आर और आर तथा एलए	1
निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण और ई.ओ., निदेशक, टीएसएमएफसी	1
निदेशक, पीआर और आरडी एवं ई.ओ. एमडी. आरईईएमएपी और सीईओ, ईजीएमएम	1

	निदेशक, एसएस और एलआर तथा पीडी भूभारती	1
	निदेशक, बंदोबस्ती (एंडोमेंट्स)	1
	निदेशक, एससी डेव. और ई.ओ. एमडी, एससीएफसी और सचिव टीएसएसडबल्यूआरईआईएस	1
	निदेशक, डबल्यूडी, सीडबल्यू, जेडबल्यू और सीएस एवं ईओ, एमडी, डबल्यूएफसी	1
	निदेशक, युवा सेवाएँ और ई.ओ., एमडी, एसएटी	1
	निदेशक, पर्यटन	1
	अपर आयुक्त, जीएचएमसी	1
	सचिव, तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग,	1
	अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
	सीईओ, टीएसएआरडी और एसईआरपी	1
	सचिव, सीसीएलए	1
1	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	119
2	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, जो उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं होंगे	47
3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, जो उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं होंगे	29
4	प्रशिक्षण रिज़र्व, जो उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं होंगे	4
5	छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व, जो उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं होंगे	19
6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, जो उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं होंगे	66
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	152
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	218"

[फा.सं. 11031/02/2025-अ.भा.से.-II (क)]

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, तेलंगाना संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 208 थी।

टिप्पणी (2): मुख्य विनियम, दिनांक 22 अक्टूबर 1955 के एसआरओ सं. 3350 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात, इन्हें तेलंगाना संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा. का. नि संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया:-

क्र. सं.	सा.का.नि सं.	तिथि	क्र. सं.	सा.का.नि सं.	तिथि
1.	511 (अ)	18.07.2014	2.	469(अ)	29.04.2016

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th January, 2026

G.S.R. 15(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Telangana, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “Telangana” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

“Telangana

Senior Duty Posts under the State Government of Telangana	119
Chief Secretary to Government	1
Special Chief Secretary to Government, Finance	1
Chief Commissioner of Land Administration & E.O. Spl. Chief Secretary	1
Principal Secretary to Government, AHDD & F	1
Principal Secretary to Government, B.C. Welfare	1
Principal Secretary to Government, Education	1
DG, Dr. MCR HRDI & E.O. Principal Secretary	1
Addl/ Prl. Secretary to Chief Minister	1
Principal Secretary to Governor	1
Chief Electoral Officer & E.O. Prl. Secretary to Govt., G.A. (Elections)	1
Principal Secretary to Government, (Poll.) GAD	1
Principal Secretary to Government, I & CAD	1
Principal Secretary to Government, HM & FW	1
Principal Secretary to Government, MA & UD	1
Principal Secretary to Government, Planning & E.O. DG., TSRAC	1
Principal Secretary to Government, PR & RD, RWS, RSAD	1
Principal Secretary to Government, (Revenue and R&S)	1
Principal Secretary to Government, Excise, CT & Endowments	1
Principal Secretary to Government, TR & B	1
Secretary to Government, A & C and APC	1
Secretary to Government, EFS & T	1
Secretary to Government, Energy	1
Secretary to Government, Finance (IF)	1
Secretary to Government, Finance & EO, DG, CGG	1

Secretary to Government, (Services & HRM), GAD	1
Secretary to Government, Home	1
Secretary to Government, Housing	1
Secretary to Government, (PE and I&I), I & C	1
Secretary to Government, (I&C, Mines, FP, H&T, MSME, Sugar & BT)	1
Secretary to Government, ITE & C	1
Secretary to Government, LET & F	1
Secretary to Government, Minorities Welfare	1
Secretary to Government, SC Development & Tribal Welfare	1
Secretary to Government, WDC&DW	1
Secretary to Government, YAT & C	1
Commissioner, Civil Supplies and E.O., Secretary to Govt., CAF & CS	1
Commissioner, I & PR & E.O., Secretary, GAD	1
Commissioner for Cooperation & Registrar of Cooperative Societies	1
Commissioner, Agriculture, Horticulture & Sericulture	1
Commissioner, Fisheries	1
Commissioner, B.C. Welfare & E.O. MS, TSCBC & MD, TSBCWC	1
Commissioner, Collegiate & Technical Education	1
Commissioner, Intermediate Education and Secretary, Board of Intermediate Education	1
Resident Commissioner, Telangana Bhavan, New Delhi	1
Commissioner, PH & FW & E.O. MD, NHRM, PD, AIDSCS and CEO Arogyasri	1
Commissioner, Industries & Sugar	1
Commissioner, Labour	1
Commissioner, Greater Hyderabad Municipal Corporation	1
Commissioner & Director, MA & E.O.MD, MEPMA & MD, TUFIC	1
Commissioner, Prohibition & Excise	1
Commissioner, Commercial Taxes	1
Commissioner & Inspector General, Registration & Stamps	1
Commissioner, Transport	1
Commissioner, TW & E.O.MD, TRICOR, MD GCC & SECY, TWREI	1
Collectors	33
Additional Collectors	11
PO, ITDA	3
Director, School Education & E.O. SPD, SSA	1
Director, Protocol	1
Director, Housing & E.O., MD, WSHP, EO.CEO, DILL, VC&MD, HB & MD RSG	1
Director, Handlooms & Textiles, E.O. M.D., TSCO	1
Director, R & R and LA	1
Director, Minorities Welfare & E.O., Director, TSMFC	1
Director, PR & RD & E.O. MD. REEMAP & CEO, EGMM	1
Director, SS & LR and PD, Bhubharathi	1
Director, Endowments	1

	Director, SC Dev. & E.O. MD, SCFC & Secretary, TSSWREIS	1
	Director, WD, CW, JW & CS & EO, MD, WFC	1
	Director, Youth Services & E.O., MD, SAT	1
	Director, Tourism	1
	Additional Commissioner, GHMC	1
	Secretary, Telangana State Public Service Commission	1
	Addl./Jt./Deputy Chief Electoral Officer	1
	CEO, TSARD & SERP	1
	Secretary to CCLA	1
1	Total Senior Duty Posts	119
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	47
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	29
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	4
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	19
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	66
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	152
	TOTAL AUTHORISED STRENGTH	218"

[F. No. 11031/02/2025- AIS-II (A)]

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy.

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Telangana Cadre was 208.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Telangana Cadre by the following GSR No. and date :-

S. No.	G.S.R. No.	Date	S. No.	G.S.R. No.	Date
1.	511(E)	18.07.2014	2.	469(E)	29.04.2016